



उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी प्रकार जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पाठ्य प्रोग्राम की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति पत्र ले लिया जायेगा।

भवदीय



(अखिलेश पाण्डेय)

सचिव, मण्डलीय समिति,

संयुक्त शिक्षा निदेशक

वाराणसी मण्डल वाराणसी

/एन0ओ0सी0/

3873-79

/2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।

आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।

शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।

जिला विद्यालय निरीक्षक चन्दौली

निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

प्रबन्धक, बी0पी0एस0पब्लिक स्कूल जी0टी0रोड नौबतपुर चन्दौली।

गार्ड फाइल हेतु।



PRINCIPAL  
B P S PUBLIC SCHOOL  
NAUBATPUR, CHANDAULI



(अखिलेश पाण्डेय)

सचिव, मण्डलीय समिति,

संयुक्त शिक्षा निदेशक

वाराणसी मण्डल वाराणसी